मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र.5800/MGNREGS-MP/NR-5/15 भोपाल, दिनांक 01/06/2015

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
जिला–समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः– मीडिया. प्लान वर्ष 2015–16 के क्रियान्वयन बाबत।

विषयांतर्गत मनरेगा अधिनियम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मीडिया प्लान वर्ष 2015–16 का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : मीडिया प्लान वर्ष 2015–16

(डी.एस. रणदा)
अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

पृ. क्र.5801/MGNREGS-MP/NR-5/15 भोपाल, दिनांक 01/06/2015

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) जिला पंचायत–समस्त मध्यप्रदेश कृपया मीडिया अधिकारियों/प्रभारी मीडिया अधिकारियों के माध्यम से मीडिया प्लान वर्ष 2015–16 का पालन कराया जाना एवं प्रतिमाह 10 तारीख तक मुख्यालय को की गई कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डी.एस. रणदा)
अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

संचार माध्यमों से
मनरेगा
आमजन तक

मीडिया प्लान
वर्ष 2015–16

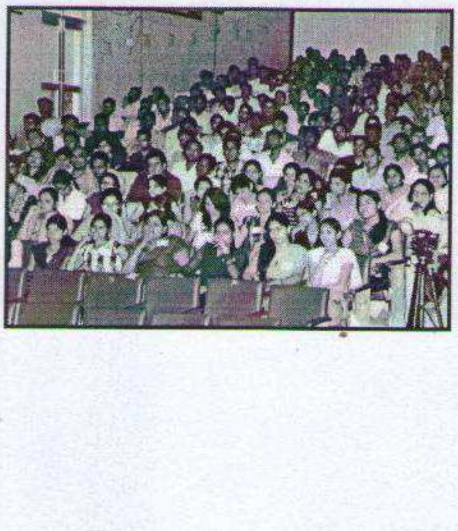
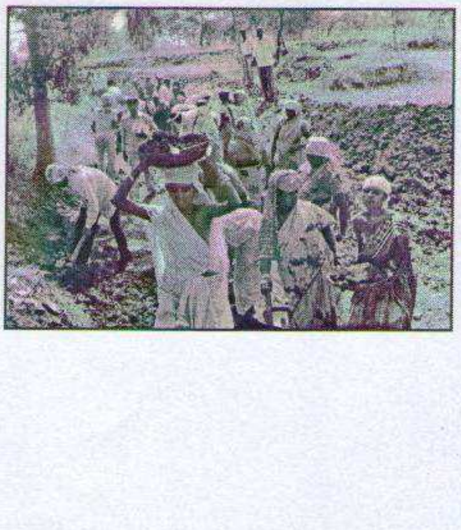

मीडिया प्लान 2015–16 की रूपरेखा

महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम–म.प्र. के लक्ष्य समूह तथा आमजन तक विभिन्न प्रचार–प्रसार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता संबंधी जानकारी पहुंचाने हेतु **Media Plan 2015-16** तैयार किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा की जानकारी, दिशा–निर्देश, समय–समय होने वाले बदलाव, मजदूरों के अधिकार, सामुदायिक/हितग्राही मूलक उपयोजनाओं की जानकारी आमजन एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स तक संचार के विभिन्न माध्यमों से सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी गतिविधियां) द्वारा पहुंचाने के लिये मीडिया प्लान वर्ष 2015–16 तैयार किया गया है। इन गतिविधियों में अनुमानित व्यय 15 करोड़ 71 लाख 70 हजार रुपये होगा। यह व्यय मनरेगा के प्रशासकीय मद में से किया जावेगा। प्रचार–प्रसार की गतिविधियों में होने वाले व्यय को अन्य योजनाओं के साथ शामिल कर समायोजित किया जा सकता है।

उद्देश्य :

मीडिया प्लान वर्ष 2015–16 का मुख्य उद्देश्य योजना और स्टेक होल्डर्स के बीच का संप्रेषण गेप दूर करना है। आईईसी गतिविधियों के माध्यम से योजना का संचार के विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कर मजदूरों को उनके दिये गये हक की जानकारी देना। साथ ही मनरेगा के स्टेक होल्डर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, मनरेगा के अधिकारी/कर्मचारी आदि को मनरेगा के प्रावधानों से अवगत कराना है।

प्रचार–प्रसार के लिये लक्ष्य समूह :

- जॉबकार्डधारी परिवार
- हितग्राही
- स्व सहायता समूह
- आम जनता
- राज्य, जिला, जनपद आदि के अधिकारी/कर्मचारी
- पंचायतीराज प्रतिनिधि
- जन प्रतिनिधि
- बैंकर्स/पोस्ट ऑफिस कार्मिक
- सामाजिक कार्यकर्त्ता
- नेहरू युवा केन्द्र (NYK)
- जन अभियान परिषद (JAP)

प्रचार–प्रसार के माध्यम :

- दूरदर्शन
- आकाशवाणी (Radio)
- सोशल मीडिया–फेसबुक, ट्यूटर, यू–ट्यूब
- वीडियो फिल्म

- क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला
- प्रेस रिलीज
- होर्डिंग्स
- प्रदर्शनी/झांकी
- रोजगार दिवस का आयोजन
- मुद्रित सामग्री– पोस्टर/पम्पलेट/हैण्ड बुक आदि।
- फोक मीडिया – जागृति दल/भजन मण्डली

प्रचार–प्रसार में सहयोग अभिकरण :

- गैर सरकारी संगठन (NGO)
- स्व सहायता समूह
- जन अभियान परिषद/नेहरू युवा केन्द्र के वालिटियर्स
- आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्ता
- ग्राम स्तर की भजन मण्डलियां

मुख्य गतिविधियां :

1. **दूरदर्शन एवं आकाशवाणी :** दूरदर्शन श्रृव्य–दृश्य प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन सर्वाधिक पहुंच/प्रसार वाला चैनल है। इसी तरह आकाशवाणी श्रृव्य प्रचार का सशक्त माध्यम है। मनरेगा के सजीव फोन इन कार्यक्रम से श्रोताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर योजना की जानकारी, क्रियान्वयन आदि के बारे में चर्चा की जा सकती है तथा फीड बैक लिया जा सकता है। द्विमार्गी संप्रेषण के लिये आकाशवाणी/दूरदर्शन सशक्त माध्यम हो सकता है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से अधिकारियों एवं हितग्राहियों की वार्ता मनरेगा की उपलब्धियों एवं नवीन जानकारी को आमजन तक पहुंचाया जा सकता है।
2. **वीडियो फिल्म निर्माण एवं वीडियो प्रदर्शन :** मनरेगा के सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं से हुये विभिन्न प्रकार की सृजित परिसंपत्तियों की वीडियो फिल्म (लघु वृतचित्र) का निर्माण कर उसका वीडियो प्रदर्शन किया जा सकता है। समय–समय पर वीडियो का प्रदर्शन ग्राम पंचायतों में उपलब्ध एलसीडी/टेलीविजन पर ग्रामीण जनों को दिखाया जा सकता है। जिससे ग्रामीणजन योजना के बारे में जान सके एवं हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिये प्रेरित हों। इसके अलावा वीडियो रथ एवं वीडियो वेन के माध्यम से हॉट–बाजार, लोकोत्सव झांकी/प्रदर्शनी के दौरान भी उक्त फिल्मों का प्रदर्शन किया जा सकता है।
3. **मुद्रित सामग्री :** स्टेक होल्डर्स आमजन तक सरल एवं सारगर्भित भाषा में तथ्यपरक एवं पठनीय मुद्रित माध्यम जैसे पोस्टर, पंपलेट, स्टीकर, फ्लेक्स, बुकलेट आदि को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मुद्रित सामग्री की खासियत है कि यह लंबे समय तक अपने पास रखी जा सकती है। अतः मनरेगा के दिशा–निर्देशों, अधिकार एवं कर्त्तव्य, उपयोजनाओं की जानकारी, सफलता की कहानियां आदि का प्रचार–प्रसार मुद्रित माध्यम से किया जा सकता है।

4. **फोक मीडिया :** ग्रामीण क्षेत्रों में जगार दल/भजन मण्डली संप्रेषण के सशक्त एवं लोकप्रिय माध्यम है। आवश्यकतानुसार स्थानीय बोली में मनरेगा के प्रावधानों, क्रियान्वयन आदि जैसे मजदूरी की दर, रोजगार दिवस, नवीन कार्य प्रारंभ होना, मजदूरी की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा होना, उपयोजनाओं की जानकारी, जॉबकार्डधारी परिवार, हितग्राही, स्टेक होल्डर्स, ग्रामीणजनों को दी जा सकती है।

5. **होर्डिंग्स :** प्रदर्शन प्रचार सामग्री का सशक्त एवं दीर्घकालिक माध्यम है। होर्डिंग्स के माध्यम से योजनाओं संबंधी जानकारी एवं मनरेगा की उपलब्धियों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर स्टेक होल्डर्स एवं आमजन को जानकारी दी जा सकती है।

6. **प्रदर्शनी/झांकी :** योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का प्रदर्शनकारी तरीका है। समय-समय पर आयोजित होने वाले लोकोत्सव, गणमान्य नागरिकों के आगमन के समय एकत्रित होने वाले जन समूह एवं गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शित होने वाली झांकी में मनरेगा की जानकारी, उपलब्धियों आदि का प्रचार-प्रसार इस माध्यम से किया जा सकता है।

7. **सोशल मीडिया :** सोशल मीडिया आज की आवश्यकता बन गया है। फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूब, वाट्सएप, ब्लॉग आदि की इंटरनेट/मोबाइल यूजर्स में काफी अच्छी पकड़ है। सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स को मनरेगा के नवीन प्रावधानों, उपलब्धियों, दिशा-निर्देशों को मनरेगा से जुड़े अमले एवं इंटरनेट यूजर्स आमजन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह सरल, त्वरित एवं कम खर्च में व्यापक प्रचार-प्रसार का माध्यम है।

8. **क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम/कार्यशाला :** समय-समय पर प्रदेश, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं/क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में मनरेगा की जानकारी दी जा सकती है। जन प्रतिनिधि, मेट, मजदूर एवं मनरेगा कर्मियों को नवीन दिशा-निर्देशों, मनरेगा क्रियान्वयन संबंधी जानकारी इस माध्यम से दी जा सकती है। साथ ही विषय विशेषज्ञ जैसे कृषि वैज्ञानिक, भू-जल संरक्षणविद्, मृदा विशेषज्ञ, पशु पालन विभाग आदि के जानकारों को मनरेगा की गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है।

9. **रोजगार दिवस का आयोजन :** रोजगार दिवस का आयोजन मनरेगा क्रियान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ होता है। मनरेगा के जॉबकार्डधारी परिवार को ग्राम पंचायत अंतर्गत रोजगार दिवस की जानकारी एवं इस दिन संपादित होने वाले क्रियाकलापों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न प्रचार माध्यमों से रोजगार दिवस के आयोजन के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

10. **प्रेस रिलीज :** मनरेगा की गतिविधियों, नवीन दिशा-निर्देशों, मनरेगा की उपलब्धियों आदि का प्रचार-प्रसार स्थानीय मीडिया में प्रेस रिलीज के माध्यम से किया जा सकता है। स्थानीय प्रेस को प्रेस रिलीज के माध्यम से मनरेगा गतिविधियो, उपलब्धियों से अवगत कराया जा सकता है। प्रेस से जीवंत संपर्क स्थापित करने के लिये समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की प्रेस वार्ता की जा सकती हे। प्रेस को मनरेगा से सृजित परिसंपत्तियों का अवलोकन कराने हेतु प्रेस भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं तथा मीडिया कर्मियों को सत्कार के माध्यम से जीवंत संपर्क स्थापित कर मनरेगा गतिविधियों, क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों से अवगत कराया जा सकता है।

11. **प्रकाशन :** समय–समय पर मनरेगा की उपलब्धियों एवं मनरेगा की तथ्यात्मक जानकारी का प्रकाशन किया जा सकता है। मनरेगा की वार्षिक रिपोर्ट, मासिक उपलब्धियां एवं गतिविधियां, मासिक पत्रिका (e-magazine/ग्रामीण भारत आदि) का प्रकाशन किया जा सकता है।

12. **समाचार एवं फोटोग्राफ्स संकलन :** मनरेगा से संबंधी सकारात्मक खबरों को वरिष्ठ अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों से अवगत कराने हेतु स्थानीय मीडिया में प्रकाशित समाचारों का संकलन किया जा सकता है। इस संकलन का प्रकाशन, प्रदर्शन भी समय–समय पर किया जा सकता है। इसी तरह मनरेगा से सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ्स, मनरेगा क्रियान्वयन संबंधी फोटोग्राफ्स भी फोटो लायब्रेरी बनाकर संकलित किया जा सकता है। समय–समय पर आवश्यकतानुसार उत्कृष्ट कार्यों के छायाचित्रों की पुस्तक भी प्रकाशित कर मनरेगा की उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है।

13. **केस स्टडी :** मनरेगा योजना को लागू हुये नौ साल से अधिक हो चुके हैं। मनरेगा से सृजित परिसंपत्तियां, मनरेगा से हुये सामाजिक आर्थिक बदलाव का अध्ययन कर एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। यह मनरेगा की तथ्यात्मक उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार में सहायक होगी।

नोट :–

- मीडिया प्लान अंतर्गत गतिविधियां आवश्यकतानुसार की जायें।
- मीडिया प्लान अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में शासकीय नियमों का पालन करना होगा।
- यथा संभव प्रचार–प्रसार की गतिविधियों में आवश्यकतानुसार स्थानीय बोली का प्रयोग किया जाये।
- प्रचार–प्रसार की भाषा सरल, स्पष्ट हो।
- भारत शासन एवं म.प्र. शासन की प्रचार–प्रसार एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन हो।

****

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मीडिया प्लान (आई.ई.सी. गतिविधियां)
वर्ष 2015–2016

क्र.	संचार का माध्यम	गतिविधियां	उद्देश्य	लक्षित समूह	संख्या एवं आवृत्ति	दायित्व	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दूरदर्शन	• सजीव फोन इन कार्यक्रम • अधिकारियो/हितग्राहियों की वार्ताऐं • सफलता की कहानी	• योजना का प्रचार–प्रसार • योजना की उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार • संवाद स्थापित करना	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	आवश्यकता अनुसार	• राज्य स्तर • जिला स्तर	कुल 1,52,00,000 (एक करोड़ वावन लाख रुपये) राज्य स्तर के लिये 50,00,000 (पचास लाख रुपये) तथा प्रत्येक जिले के लिये दो लाख रूपये कुल 1,02,00,000/– (एक करोड़ दो लाख रुपये)	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
2	आकाशवाणी	• सजीव फोन इन कार्यक्रम • अधिकारियो/हितग्राहियों की वार्ताऐं • स्पॉट रिकार्डिंग एवं प्रसारण	• योजना का प्रचार–प्रसार • योजना की उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार • संवाद स्थापित करना	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	समय समय पर	• राज्य स्तर • जिला स्तर	कुल 1,16,50,000 (एक करोड़ सोलह लाख पचास हजार रुपये) राज्य स्तर के लिये 40,00,000 (चालीस लाख रुपये) तथा प्रत्येक जिले के लिये 1.5 लाख रूपये कुल 76,50,000/– छियत्तर लाख पचास हजार रुपये)	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
3	वीडियो फिल्म निर्माण	• जिलों में मनरेगा अंतर्गत हुए उत्कृष्ट कार्यों/उपलब्धियों/सफलता की कहानियों पर आधारित वीडियों निर्माण	• स्टेक होल्डर्स एवं आमजन को मनरेगा की जानकारी उपलब्ध कराना सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव को आमजन तक पहुचाना • अन्य हितग्राहियों को लाभ लेने हेतु प्रेरित करना	–	आवश्यकता अनुसार	• राज्य स्तर • जिला स्तर	समग्र रूप से 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख रुपये)	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
4	वीडियो रथ/वेन	• मनरेगा अंतर्गत हुए उत्कृष्ट कार्यों/उपलब्धियों/सफलता की कहानियों पर आधारित तैयार वीडियों फिल्मों का प्रदर्शन • ऑडियो रिकार्डिंग का प्रसारण • प्रमुख संदेशों का प्रसारण	• हॉट बाजार/मेले/ लोकोत्सव आदि के अवसर पर प्रचार–प्रसार वाहन से • ग्राम पंचायतों को उपलब्ध टेलीविजन के माध्यम से	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	–	• जिला स्तर	2,55,00,000/– (दो करोड़ पचपन लाख रुपये) प्रत्येक जिले को पांच लाख रूपये के मान से	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।

अनिल गुप्ता
मीडिया अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

क्र.	संचार का माध्यम	गतिविधियां	उद्देश्य	लक्षित समूह	संख्या एवं आवृत्ति	दायित्व	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	मुद्रित सामग्री • पोस्टर • पम्पलेट • स्टीकर • फ्लेक्स • हैण्ड बुक	• सूचनापरक जानकारी • उपलब्धियां • अधिकारों/कर्त्तव्यों की जानकारी • नवीन दिशा निर्देशों का प्रचार–प्रसार • उपयोजनाओं का प्रचार–प्रसार • सफलता की कहानी	• आमजन में योजना के प्रति जागरूकता लाना • योजना की सफलता का प्रचार–प्रसार करना	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	समय समय पर	प्रदेश एवं जिला स्तर पर	2,70,00,000/– प्रत्येक जिले के लिए 5,00,000/– 2,55,00,000/– तथा प्रदेश स्तर पर 15,00,000/– रुपये	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
6	फोक मीडिया	• जगार दल/भजन मण्डली	मनोरंजन के माध्यम से ग्रामीण जनों को मनरेगा के प्रावधानों व नवीन उपयोजनाओं की जानकारी से अवगत कराना।	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • ग्रामीणजन	हॉट बाजार एवं ग्राम में आवश्यकतानुसार	जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर	–	
7	होर्डिंग्स	• योजना संबंधी जानकारी • उपलब्धियां	• विभिन्न स्टेक होल्डर्स को योजना संबंधी जानाकारी • उपलब्धियों से आमजन को अवगत कराना	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	आवश्यकता अनुसार	राज्य एवं जिला स्तर	समग्र रूप से 2,50,00,000/– (दो करोड पचास लाख रूपये)	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
8	प्रदर्शनी/झांकी	• योजना संबंधी जानकारी • उपलब्धियां	• विभिन्न स्टेक होल्डर्स को योजना संबंधी जानाकारी • उपलब्धियों से आमजन को अवगत कराना	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	आवश्यकता अनुसार	राज्य एवं जिला स्तर	2,70,00,000/– राज्य स्तर के लिये 15 लाख रूपये एवं प्रत्येक जिले को 5,00,000/– रुपये के मान से दो करोड पचपन लाख रूपये	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
9	सोशल मीडिया	• वेबसाईट • फेसबुक, • ट्वीटर • वॉट्स एप • यू ट्यूब • एसएमएस–मनरेगा संचार • ई–मैग्जीन • ब्लॉग	• योजना से संबंधित इंटरनेट प्रयोगकर्ता • सोशल मीडिया से जुड़े लोग • मनरेगा के अधिकारी/कर्मचारी को जोड़कर सूचना का आदान–प्रदान करना	• योजना से संबंधित इंटरनेट प्रयोगकर्ता • सोशल मीडिया से जुड़े लोग • मनरेगा के अधिकारी/कर्मचारी	–	राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर	–	
10	क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम/कार्यशाला	• नवीन दिशा निर्देशों की जानकारी से जन प्रतिनिधि, मनरेगा अधिकारी/कर्मचारी आदि को प्रशिक्षित करना • मेट/मनरेगा श्रमिक प्रशिक्षित करना • रिसोर्स टीम के साथ समन्वय	• नवीन दिशा निर्देशों की जानकारी देने हेतु कार्यशाला/क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम आयोजित करना	• जन प्रतिनिधि • अधिकारी/कर्मचारी • मनरेगा के स्टेक होल्डर्स	समय समय पर	राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर	30,60,000/–(तीस लाख साठ हजार रूपये) प्रत्येक जिले के लिए 60,000/– (प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 15,000/– वर्ष में 4 बार)	
11	रोजगार दिवस का आयोजन	• दीवार लेखन • मुनादी • इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार	• जॉबकार्डधारी परिवार, पंचायत प्रतिनिधि, मनरेगा कार्मिक आदि को जानकारी देना	• जॉबकार्डधारी परिवार • पात्र हितग्राही • स्टेक होल्डर्स • आमजन	आवश्यकता अनुसार	ग्राम पंचायत स्तर पर	–	

अनिल गुप्ता
मीडिया अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

क्र.	संचार का माध्यम	गतिविधियां	उद्देश्य	लक्षित समूह	संख्या एवं आवृत्ति	दायित्व	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	प्रेस रिलीज	• प्रेस नोट जारी करना	• आमजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से मनरेगा गतिविधियों से अवगत कराना • सफलता की कहानी जारी करना	• आमजन	नियमित रूप से	जिला स्तर	–	
13	प्रेस वार्ता/प्रेस भ्रमण/प्रेस सत्कार	• मनरेगा की विभिन्न गतिविधियों • मनरेगा की उपलब्धियों • नवीन दिशा निर्देश आदि से मीडिया को अवगत कराना	• मनरेगा की विभिन्न गतिविधियों • मनरेगा की उपलब्धियों • नवीन दिशा निर्देश आदि से मीडिया को अवगत कराना	स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि	समय समय पर	प्रदेश एवं जिला स्तर पर	16,30,000/– रुपये (प्रत्येक जिले के लिए 30,000/– रुपये के मान से कुल 15,30,000/– रुपये) प्रदेश हेतु 1,00,000/–रुपये	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
14	प्रकाशन	• वार्षिक प्रतिवेदन • मासिक पत्र–पत्रिकाऐं	आमजन को योजना/योजना की प्रगति/योजना की उपलब्धियों से अवगत कराना	आमजन	–	–	–	
15	फोटोग्राफ्स	फोटो लायब्रेरी तैयार करना	• उत्कृष्ट कार्यों के छायाचित्रों को संधारित करना • छायाचित्रों का प्रदर्शन करना	–	–	राज्य एवं जिला स्तर	–	
16	समाचारों का संकलन	मनरेगा संबंधित सफलता की कहानी/सकारात्मक खबरों का संधारण	मनरेगा संबंधित सफलता की कहानी/सकारात्मक खबरों का संधारण	–	–	राज्य एवं जिला स्तर	6,30,000/–रुपये (12,000/– प्रत्येक जिले को (12000x 51=6,12,000/– एवं राज्य स्तर पर 18,000/– वार्षिक)	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
17	केस स्टडी	मनरेगा से लाभान्वित हितग्राही/समुदाय का अध्ययन करना	मनरेगा की उपलब्धियां/मनरेगा से आये सामाजिक–आर्थिक बदलाव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना	–	–	राज्य एवं जिला स्तर	–	
18	विज्ञापन	मनरेगा की उपलब्धियां एवं आवश्यक तथ्यपरक सूचनात्मक जानकारी	मनरेगा की उपलब्धियां/मनरेगा से आये सामाजिक–आर्थिक बदलाव एवं आवश्यक जानकारी का प्रचार–प्रसार करना	आमजन	आवश्यकता अनुसार	राज्य स्तर	50 लाख रुपये	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
19	मीडिया रिटेनर/जन संपर्क एजेंसी	मनरेगा की उपलब्धियों को जनसंपर्क एजेंसी के माध्यम से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एवं प्रचार–प्रसार कराना	मनरेगा की उपलब्धियां/मनरेगा से आये सामाजिक–आर्थिक बदलाव एवं आवश्यक जानकारी का प्रचार–प्रसार करना	आमजन	आवश्यकता अनुसार	राज्य स्तर	5 लाख रुपये	अन्य योजनाओं को शामिल कर व्यय को समायोजित किया जा सकता है।
							महायोग–15,71,70,000/– रूपये	

(कुल अनुमानित व्यय 15 करोड़ 71 लाख 70 हजार रूपये मात्र)

अखिल गुप्ता
मीडिया अधिकारी
राज्य रोजगार गारंटी परिषद